एम.ए.सी.पी. संख्या ३६३/२०१९,
१. श्रीमती रजनी पत्नी स्व. गोविन्द उम्र लगभग ३२ वर्ष
२. रिषभ पुत्र स्व. गोबिन्द सिंह उम्र लगभग ०६ वर्ष नाबालिग
नाबालिग जरिये माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती रजनी पत्नी स्व. गोविन्द
३. नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री राम कुमार उम्र ६० वर्ष
४. श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र पाल सिंह उम ५६ वर्ष
५. राम कुमार सिंह पुत्र स्व. मान सिंह उम्र ८० वर्ष
निवासियान ४२९ आजाद नगर बम्हरौली तहसील मोंठ जिला झाँसी उ. प्र.

-------याचीगण

प्रति

१. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चनद्रभान निवासी ग्राम अहरौली थाना व तहसील मोंठ जिला झाँसी उ. प्र.
.....चालक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ६३२४
२. वीर सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद निवाी ग्राम बम्हौली थाना व तहसील मोंठ जिला झाँसी उ. प्र.
.....मालिक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ६३२४
३. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिए मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कचहरी चौराहा, झाँसी जिला झाँसी
.....बीमाकर्ता ट्रक नं. एम.पी. ०७ एच बी ३८०२

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा गोविन्द की मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर ₹ ४०,००,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत नियत तिथि पर १६बी सुलहनामा पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा १६बी याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। १६बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ९,००,००० याचीण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा १६बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा १६बी में दर्शित कुल ₹ ९,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा १६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा १६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹ ९,००,००० (नौ लाख)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ५ क्रमशः ४०,३०,१०,१५,५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. ५ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगें। याची सं. १ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि के ७५ प्रतिशत भाग की ५ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी व २५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगी। याची सं. ३ व ४ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि के ७५ प्रतिशत भाग प्रत्येक की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी व २५ प्रतिशत भाग प्रत्येक आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगें। याची सं. २ रिषभ अवयस्क को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि के ५० प्रतिशत भाग की १० वर्ष के लिए एन्युटी जरिए माँ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती रजनी देवी बनाई जाएगी व ५० प्रतिशत भाग उसके नाम उसकी वयस्कता तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च दर देने वाली सावधि जमा योजना मे निवेशित की जावेगी, जिसकी समस्त धनराशि वह वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:27:19 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi